

**न्यायालय-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)**

आप0प्रक0 क्रमांक-255 / 17
संस्थित दिनांक 19.06.2017
फाईलिंग नं.8832017

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

.....अभियोजन

विरुद्ध

प्यारेलाल पिता नन्देलाल खैरवार, उम्र-54 वर्ष,
निवासी बहेराभाटा चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा
जिला बालाघाट(म.प्र.)

.....आरोपी

—:: निर्णय ::—

(दिनांक 18/12/2017 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 294, 427, 506(भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 17.05.2017 को समय 14/30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम पंचायत बहेराभाटा में फरियादी हेमन्त कुमार, जो उस समय सहायक सचिव के पद पर रहते हुए लोक सेवक के रूप में शासकीय कार्यों का निष्पादन कर रहे थे, को शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुँचाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर फरियादी हेमन्त कुमार को अश्लील गालियों देकर उसे एवं अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी के लेपटाप को तोड़-फोड़ कर रिष्टि कारित किया तथा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 17.05.2017 को वह ग्राम पंचायत बहेराभाटा में शासकीय कार्य कर रहा था, तभी प्यारेलाल आया और उसे बोलने लगा कि उसके खेत में कुएं का काम पास क्यों नहीं हो रहा है, तब उसके द्वारा यह कहे जाने पर कि जिसकी ढाई एकड़ से कम जमीन हो उसका ही पास होता है। प्यारेलाल द्वारा उसके घर के शौचालय निर्माण का पैसा क्यों नहीं निकाला कहे जाने पर उसके द्वारा कहा गया कि उसका पैसा अभी नहीं निकला है, तब प्यारेलाल द्वारा उसे साले, मादरचोद सभी का पैसा निकालता कहकर टेबल के सामने रखी प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर उसे मार दिया, जो उसके कंधे पर तथा टेबल पर रखे लेपटाप पर लगी। तभी पंचायत में बैठे अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया। कुर्सी लगने उसके बांये कंधे, गर्दन में दर्द हो रहा है तथा लेपटाप के सामने की स्क्रीन क्रेक हो गई। प्यारेलाल जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना की गई। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा, प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिये गये। आरोपी को गिरफ्तार

किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353, 294, 427, 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत हेमन्त कुमार ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 427, 506(भाग-2) के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353 के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04— आरोपी के विरुद्ध यह बिन्दु विचारणीय है कि:-

01. क्या आरोपी ने दिनांक 17.05.2017 को समय 14/30 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम पंचायत बहेराभाटा में फरियादी हेमन्त कुमार, जो उस समय सहायक सचिव के पद पर रहते हुए लोक सेवक के रूप में शासकीय कार्यों का निष्पादन कर रहे थे, को शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुँचाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

05— फरियादी साक्षी हेमन्त कुमार अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष 17 मई को दिन के समय ग्राम बहेराभाटा की है। घटना के समय वह पंचायत में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ था। दिन के करीब दो बजे मनरेगा के कुएं को लेकर आरोपी द्वारा उससे वाद-विवाद किया गया। बाद में लोगों की समझाईश पर झगड़ा शांत हुआ और आरोपी वापस चला गया। फिर ऑफिस वालों के कहने पर उसने आरोपी के विरुद्ध सालेटेकरी चौकी में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 दर्ज करवाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके लेपटाप और कुर्सी के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— फरियादी साक्षी हेमन्त कुमार अ.सा.01 से न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी कुएं की बात को लेकर गाली-गलौच कर कुर्सी से उसे मार दिया था, जिससे लेपटाप को भी क्षति हुई थी, आरोपी ने उसके शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाया था तथा उसे जान से मारने की धमकी दिया था। साक्षी के अनुसार आरोपी द्वारा मौखिक विवाद किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी अपने खेत में मनरेगा के तहत कुएं के संबंध में पूछताछ करने आया था,

आरोपी के खेत में मनरेगा के तहत कुएं की स्वीकृति नहीं मिली थी, घटना के समय आरोपी द्वारा मौखिक विवाद किया गया था, आरोपी द्वारा किसी प्रकार की मारपीट अथवा गाली-गलौच नहीं की गई थी, उसका आरोपी के साथ समझौता हो गया है और वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

07— प्रकरण में फरियादी हेमन्त कुमार अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। स्वयं फरियादी हेमन्त कुमार अ.सा.01 ने घटना के समय आरोपी से मौखिक विवाद होना व्यक्त कर आरोपित अपराध से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी हेमन्त कुमार, जो उस समय सहायक सचिव के पद पर रहते हुए लोक सेवक के रूप में शासकीय कार्य का निष्पादन कर रहे थे, को शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुँचाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

08— अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

09— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का विधिवत् निराकरण किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
 खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही /—
 (अमनदीपसिंह छाबड़ा)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
 बैहर, जिला बालाघाट

सही /—
 (अमनदीपसिंह छाबड़ा)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
 बैहर, जिला बालाघाट